अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(48) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/जिला/2017–18 जयपुर, दिनांक 6 फरवरी, 2018

जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

विषय :– प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के कियान्वयन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :– विभागीय आदेश क्रमांक एफ 27(44) ग्राविवि/ग्रुप–5/PMAY-G/ विविध/ 2017–18 दि 13.09.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक आदेश के संदर्भ में लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के क्रियान्वयन हेतु जारी दिशा–निर्देश (फ्रेमवर्क) की अनुपालना में जिला स्तर पर जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला क्रियान्वयन, निगरानी, समन्वयन एवं अपीलेट कमेटी का गठन किया गया था एवं साथ ही समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में किये जाने का प्रावधान है।

उक्त गठित समिति द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के अंतर्गत ग्रामसभा से अनुमोति वरीयता सूची पर प्राप्त आपत्तियों के निस्तारण, योजनान्तर्गत स्वीकृत मकानों को समय पर पूरा करने के लिए रोडमेप व अन्य योजना के साथ तालमेल, योजना की सफल क्रियान्विति सुनिश्चित करना, प्रगति की समीक्षा आदि का उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया था।

अतः निर्देशानुसार लेख है कि योजना के दिशा–निर्देशों के अनुरूप जिला स्तरीय समिति की बैठक प्रत्येक तिमाही में किया जाना सुनिश्चित करावें एवं की गई कार्यवाही से विभाग को भी अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय,

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता, ग्राविवि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रावि।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद् (ग्राविप्र) समस्त राजस्थान।
4. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव (मो एण्ड मू) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।

अधीक्षण अभियन्ता, ग्राविवि